प्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आपराधिक अपील संख्या 493/2015

श्रवण कुमार राठिया पिता मंगल सिंह राठिया, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी–ग्राम चैनपुर, थाना धरमजयगढ़, सिविल और राजस्व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

---अपीलार्थी

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा स्टेशन हॉउस अधिकारी, पुलिस थाना खरसिया, सिविल और राजस्व जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के लिए	:–	श्री राहुल मिश्रा, अधिवक्ता
राज्य के लिये	: –	श्री आशीष तिवारी, शासकीय अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल,

माननीय न्यायमूर्ति श्री राधाकिशन अग्रवाल

बोर्ड पर प्रदत्त न्यायनिर्णय

08/08/202

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत इस आपराधिक अपील को अपीलार्थी द्वारा यहां सत्र परीक्षण संख्या 131/2013 में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित दिनांकित 09/02/2015 के आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत उन्हें दोषसिद्ध किया गया है और सभी सजाओं को एक साथ चलाने के निर्देश के साथ निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया गया हैः

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा०द०सं० की धारा 302 के तहत	₹1000/– के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में 1 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास।

भा०द०सं० की धारा 364 के तहत	₹1000/– के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में, 1 महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास।
भा०द०सं० की धारा 201 के तहत	₹ 1000/– के अर्थदण्ड के साथ 7 वर्ष के लिए कठोर कारावास।

2. अभियोजन पक्ष का प्रकरण, संक्षेप में, यह है कि 18/05/2013 को लगभग रात्रि 9.45 बजे, अपीलार्थी ने अन्नू सिंह का अपहरण कर लिया और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर डोमनारा वन ले गया और उसके स्कार्फ की मदद से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा अपराध से खुद को बचाने के लिए, उसने उसके शव को डंपिंग यार्ड के नीचे फेंक दिया एवं उसका मोबाइल, चश्मा और पर्स भी फेंक दिया तथा आगे सरसमार रोड पर उसके बटुए और उसके एटीएम कार्ड को जला दिया और इस तरह उपरोक्त अपराध कारित किये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष का आगे का प्रकरण यह है कि मृतक के पिता ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) ने पुलिस स्टेशन खरसिया में उसकी बेटी अन्नु सिंह के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। अन्वेषण के दौरान, पुलिस अधिकारियों को पता चला कि अन्नू सिंह को आखिरी बार अपीलार्थी के साथ देखा गया था, जैसा कि उसके पिता ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) ने बताया था। इसके बाद, दिनांक 30/05/2013 को लगभग रात 8:30 बजे, प्रदर्श पी/5 के अनुसार, अपीलार्थी का मेमोरेंडम बयान धुर सिंह राठिया(अभि०सा०–2) और निर्मलदास (अभि०सा०–4) की उपस्थिति में दर्ज किया गया जिसके अनुसरण में, प्रदर्श पी/6 के अनुसार शव जब्ती पंचनामा तैयार किया गया तथा अन्नू सिंह का शव डंपिंग यार्ड में सड़ी हुई हालत में पाया गया था जिसकी पहचान प्रदर्श पी/7 के अनुसार ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) और मिलन सिंह राजपूत (अभि०सा०–5) ने की थी। प्रदर्श पी/8 के अनुसार, अपीलार्थी की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई और उसकी निशानदेही पर, प्रदर्श पी/9 के अनुसार मृतक का जला हुआ बटुआ और ए. टी. एम. कार्ड सारसमल रोड में झाड़ियों से जब्त किया गया एवं प्रदर्श पी/10 के अनुसार मृतक से संबंधित मोबाइल फोन और चश्मे छाल धाम से जब्त किए गए। कथित जब्त वस्तुओं की पहचान, प्रदर्श पी/4 के अनुसार ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा भी की गई थी। इसके बाद, प्रदर्श पी/23 के अनुसार, मर्ग सूचना दर्ज की गई तथा प्रदर्श पी/19 के अनुसार अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अन्वेषण अधिकारी बी. एस. सिंह (अभि०सा०–9) द्वारा प्रदर्श पी/18 के अनुसार मृतक अन्नू सिंह के पोस्टमॉर्टम के लिए आवेदन किया गया था जिस पर डॉ. यू. एस. राठिया(अभि०सा०–8) ने राय दी कि शव उन्नत अपघटन के चरण में था और

उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए इसे सीआईएमएस, बिलासपुर प्रेषित करने हेतु निर्देशित कर दिया, जिसके अनुसरण में प्रदर्श पी/25 अनुसार डॉ. आर. के. सिंह (अभि०सा०–10) द्वारा यह कथन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि आंशिक शव परिरक्षण(mummification) के साथ अपघटन के मध्यम से उन्नत चरण में था और मृत्यु का कारण तथा मृत्यु की अवधि निर्धारित नहीं की जा सकी थी। उचित अन्वेषण के बाद, अपीलार्थी के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 364, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था, जो विधि अनुसार विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया था। अपराधी ने अपने अपराध से इंकार किया और अपना बचाव किया।

4. अपराध साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 11 साक्षियों का परीक्षण किया और 36 दस्तावेज, रिकॉर्ड में प्रदर्शित किये। अपीलार्थी का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत लिया गया था जिसमें उसने अपराध से इनकार किया था, हालांकि, उसने न तो किसी साक्षी का परीक्षण किया न ही अपने बचाव में किसी दस्तावेज का प्रदर्शन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. विद्वत विचारण न्यायालय, अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचना पश्चात्, यह निष्कर्षित करते हुए कि अपीलार्थी ने प्रश्नाधीन अपराध कारित किया है, उसे भा०द०सं० की धारा 364, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने के लिए आगे बढ़ी और उसे उपरोक्तानुसार दण्डादिष्ट किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल मिश्रा ने व्यक्त किया कि विचारण न्यायालय अपीलार्थी को दोषी ठहराने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण है क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। यह स्थापित नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने मृतक का अपहरण किया था और उसे अपने साथ ले गया था क्योंकि अपीलार्थी और मृतक को आखिरी बार दिनांक 18/05/2013 को एक साथ देखा गया था, जबकि मृतक का शव काफी अंतराल के बाद दिनांक 30/05/2013 को बरामद किया गया था, इस प्रकार, अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत स्थापित नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक अन्नू सिंह का शव आंशिक शव परिरक्षण के साथ अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में बरामद किया गया था और यह पता नहीं चल सका है कि उसकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी या नहीं। इसके अलावा, कथित रूप से मृतक से संबंधित वस्तुओं को दिनांक 30/05/2013 को जब्त कर लिया गया था, हालांकि, उनकी पहचान 05/08/2013 को की गई है, अर्थात ढाई महीने के बाद जो एक लंबा समय अंतराल है, इस प्रकार, परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है और पांच सुनहरे सिद्धांत जो **शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले के प्रमाण का पंचशील बनाते हैं, साबित नहीं हुए

1 (1984) 4 एससीसी 116

हैं। उन्होंने अंत में यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी संदेह के लाभ के सिद्धांत के आधार पर दोषमुक्त होने का हकदार है और अपने तर्कों की पुष्टि के लिए उन्होंने **चंद्रपाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**[2] और **शैलेंद्र बनाम गुजरात राज्य**[3] के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर अवलंब लिया।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष तिवारी ने व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रही है क्योंकि अंतिम बार एक साथ देखे जाने का सिद्धांत मृतक ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) के पिता द्वारा विधिवत स्थापित किया गया है और अन्यथा भी, अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान में यह नहीं समझाया गया है कि वह मृतक को कब छोड़कर चला गया और उसकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे हुई। जैसा कि यह है, मृतक अन्नू सिंह के शव की बरामदगी प्रदर्श पी/6 के अनुसार अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में की गई है, इस प्रकार, **शरद बिरधीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रकरण के प्रमाण के पंचशील का गठन करने वाले पांच स्वर्ण सिद्धांत अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत स्थापित किए गए हैं और विचारण न्यायालय उपरोक्त अपराधों के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध ठहराने में पूरी तरह से न्यायोचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों अवलोकन किया है।

9. मृतक की मृत्यु की प्रकृति के संबंध में प्रश्न का उत्तर विचारण न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, हालांकि, विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि प्रदर्श पी/5 के अनुसार अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में प्रदर्श पी/6 के अनुसार मृतक अन्नू सिंह के शव का कंकाल बरामद किया गया जिसे निर्मलदास (अभि०सा०–4) द्वारा विधिवत साबित किया गया है और इसकी पहचान ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) और मिलन सिंह राजपूत (अभि०सा०–5) द्वारा की गई थी। विचारण न्यायालय ने मृतक की मृत्यु को अप्राकृतिक अभिनिर्धारित किया है क्योंकि शव का पोस्टमॉर्टम भी नहीं किया जा सका क्योंकि शव अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में था और अंततः इसे शव परीक्षण के लिए भेजा गया था जो डॉ. आर. के. सिंह द्वारा संचालित किया गया था और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/25) में, उन्होंने राय दी है कि शव आंशिक परिरक्षण के साथ अपघटन की मध्यम से उन्नत अवस्था में था और मृत्यु का कारण और मृत्यु की अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती थी।

---

2 एआईआर 2022 एससी 2542
3 (2020) 14 एससीसी 750

10. **रामानंद और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**[4] के प्रकरण में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि पीड़ित पर हिंसा के भौतिक साक्ष्य के साथ शव की बरामदगी को कभी भी हत्या में शव अपराध(corpus delicti) साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है। उन्होंने ने आगे अभिनिर्धारित किया था कि 'शरीर' का सिद्धांत केवल सावधानी का नियम है न कि कानून का। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां हत्या में पीड़ित का शव नहीं मिलता है, वहां अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित की हत्या की मृत्यु का अन्य ठोस और संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लेकिन जहां शव अपराध या नरघातक मृत्यु के तथ्य को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा या दोनों द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो परिस्थितियाँ एक निर्णायक और निश्चित चरित्र की होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित पीड़ित की मृत्यु नरघातक प्रकृति की हुई है। माननीय न्यायाधिपति ने निम्नलिखित निर्धारित किया:–

> "28. इसका तात्पर्य है कि यह साबित करने से पहले कि आरोपी हत्या का अपराधी है, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि मानववध कारित हुआ है। साधारण तौर पर, पीड़ित के शव या उसके एक महत्वपूर्ण हिस्से की बरामदगी जिस पर हिंसा के निशान है, पीड़ित के मानववध का पर्याप्त प्रमाण है। एक समय था जब पुराने अंग्रेजी कानून के तहत, किसी व्यक्ति को उसके संदोष मानववध किये जाने के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले मृतक के शव की खोज को अनिवार्य माना जाता था। "सर मैथ्यू हेल ने कहा था, "मैं कभी भी किसी व्यक्ति को वध या नरहत्या के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, जब तक कि तथ्य साबित नहीं हो जाता, या कम से कम शरीर मृत अवस्था में नहीं पाया जाता।" " यह केवल सावधानी का नियम था, कानून का नहीं। लेकिन उस समय में जब हत्या के लिए फांसी ही एकमात्र सजा थी, इस सचेतक नियम का पालन करने की आवश्यकता अधिक थी। हिंसा के भौतिक साक्ष्य वाले पीड़ित के शव की बरामदगी को कभी भी हत्या में शव अपराध को साबित करने का एकमात्र तरीका नहीं माना गया है। वास्तव में, बहुत से मामले ऐसे प्रकृति के होते हैं जहाँ शव की बरामदगी असंभव होती है। इस पुराने "शरीर" सिद्धांत का एक बिना सोचे समझे किया गया पालन, कई जघन्य हत्यारों के लिए दंड से बचने के लिए दरवाजे खोल देगा क्योंकि वे पीड़ित के शरीर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से चालाक और चतुर थे। हमारे कानून के संदर्भ में, सर हेल के कथन की व्याख्या इस बात पर जोर देने के अलावा नहीं की जानी चाहिए कि जहां हत्या के मामले में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 (1981) 1 एससीसी 511

पीड़ित का शव नहीं मिलता है, वहां पीड़ित की हत्या की मृत्यु का अन्य ठोस और संतोषजनक सबूत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसा प्रमाण प्रत्यक्षदर्शियों के प्रत्यक्ष विवरण से, या परिस्थितिजन्य साक्ष्य से, या दोनों से हो सकता है। लेकिन जहां शव अपराध अर्थात 'नरघातक मृत्यु' के तथ्य को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जाती है, तो परिस्थितियां एक निर्णायक और निश्चित प्रकृति की होनी चाहिए जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित पीड़ित की मृत्यु नरहत्या है। फिर भी, सावधानी के इस सिद्धांत को आत्यंतिक प्रमाण की पुनरावृत्ति के रूप में बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस अपूर्ण दुनिया में पूर्ण प्रमाण शायद ही कभी मिलता है, और पूर्ण निश्चितता एक मिथक है। यही कारण है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत, एक तथ्य को "सिद्ध" कहा जाता है, यदि न्यायालय अपने समक्ष मामलों पर विचार करते हुए इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानती है कि एक विवेकपूर्ण व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि यह विद्यमान है। इसलिए, शव अपराध या मानववध के तथ्य को उन परिस्थितियों को बताकर और दोषी ठहराकर साबित किया जा सकता है जो निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, संबंधित अभियुक्त द्वारा पीड़ित की हत्या की गई है। ... ”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **रामा नंद** (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधिक सिद्धांत को **रामजी राय और अन्य बनाम बिहार राज्य**[5] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा दोहराया और अनुसरण किया गया है और **रामा नंद** (पूर्वोक्त) के प्रकरण का अनुसरण करते हुए **ऋषि पाल बनाम उत्तराखंड राज्य**[6] के मामले में भी इसी तरह का सिद्धांत दिया गया है और यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पीड़ित के मानववध का ठोस और संतोषजनक साक्ष्य पेश किया जाता है तो शव–अपराध की अनुपस्थिति महत्वहीन है। **रामा नंद**(पूर्वोक्त) के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुसरण **संजय रजक बनाम बिहार राज्य**[7] के प्रकरण में किया गया है।

12. तथापि, **एस. कलीस्वरन बनाम राज्य, द्वारा पुलिस निरीक्षक, पोल्लाची टाउन ईस्ट पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर जिला, तमिलनाडु**[8] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने कार्पस डिलिक्टि(शव अपराध) के नियम का यह अपवाद बनाया है कि यदि पूरी श्रृंखला ठोस साक्ष्य द्वारा

5 (2006) 13 एस. सी. सी. 229
6 2013 क्रि.एल.जे. 1534
7 (2019) 12 एस. सी. सी. 552
8 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1511

विधिवत साबित हो जाती है, तो दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है, भले ही शव नहीं मिला हो, लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव आरोपी द्वारा दिखाए गए स्थान से पाया जाता है, तो अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी की निशानदेही पर मिला शव या कंकाल, पीड़ित का था और किसी और का नहीं था, और यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः –

> "14. ... लेकिन जब अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीड़ित का शव, आरोपी द्वारा दिखाए गए स्थान से बरामद किया गया था, तो अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित करना अनिवार्य है कि आरोपी की निशानदेही पर प्राप्त शव या कंकाल, पीड़ित का था, किसी और का नहीं। "

13.हाल ही में, **जॉन एंथोनिसामी उर्फ जॉन बनाम राज्य**[9] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां मृत्यु का कारण अनिश्चित था, उसे अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य परिस्थितियों को स्थापित करके यह साबित करना होगा कि मृतक की हत्या की गई थी और पैराग्राफ 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "20. अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से की गई दलीलें कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि मृतक की मृत्यु मानववध थी क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण अनिश्चित था, यह ध्यान देने योग्य है कि चूंकि शव को दफनाया गया था और कई महीनों के बाद पाया गया था, इसलिए अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना संभव नहीं हो सकता है कि मृत्यु नरहत्या थी। हालाँकि, उसी समय और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया गया था , अभियोजन पक्ष ने अन्य परिस्थितियों से स्थापित किया है और साबित किया है कि मृतक की हत्या अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा उसकी कार चोरी करने/ले जाने के बाद की गई थी। "

14.वर्तमान प्रकरण में, हालांकि डॉ. यू. एस. राठिया (अभि०सा०–8) के बयान से यह स्पष्ट है कि पोस्टमॉर्टम नहीं किया जा सका और यद्यपि प्रदर्श पी/25 के अनुसार डॉ. आर. के. सिंह (अभि०सा०–10) की रिपोर्ट में शव अत्यधिक सड़ी हुई स्थिति में था लेकिन प्रदर्श पी/7 के अनुसार अन्नू सिंह के शव की पहचान मृतक के पिता ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा साक्षी धुर सिंह राठिया(अभि०सा०–2) तथा साक्षी निर्मलदास(अभि०सा०–4) की उपस्थिति में की गई थी एवं इसके अलावा, प्रदर्श पी/4 के अनुसार, अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में बरामद वस्तुओं की पहचान भी ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा की गई है, इस प्रकार, यह

9 (2023) 3 एससीसी 536 10

स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि प्रदर्श पी/6 के अनुसार जो शव बरामद किया गया था, वह मृतक अन्नू सिंह का था और इसलिए, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उसे ले जाने के बाद उसे मार दिया गया था और हम एतद्द्वारा अभिनिर्धारित करते हैं कि मृतक अन्नू सिंह की मृत्यु प्रकृति में नरहत्या थी।

15. अब जहाँ तक प्रश्नाधीन अपराध के अपराधी के संबंध में प्रश्न का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत पर अवलम्ब लेते हुए अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ही प्रश्नाधीन अपराध का अपराधी है जो दिनांक 18/05/2013 को रात्रि लगभग 9.45 बजे मृतक अन्नू सिंह को अपने साथ ले गया था, जिसे मृतक के पिता ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा साबित किया गया है और उसके बाद, प्रदर्श पी/5 के अनुसार, निर्मलदास(अभि०सा०–4) द्वारा साबित किये गये अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में प्रदर्श पी/6 के अनुसार मृतक का शव बरामद किया गया था।

16. ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) ने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि हालांकि अपीलार्थी और मृतक के बीच कुछ संबंध थे, लेकिन मृतक की शादी के लिए उसकी सगाई अंबिकापुर में किसी अन्य व्यक्ति से हो गई थी और उनकी शादी दिनांक 04/06/2013 को होने की संभावना थी। उन्होंने आगे कहा है कि दिनांक 18/05/2013 को अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल पर आया और मृतक अन्नू सिंह को यह कहते हुए अपने साथ ले गया कि उन्हें गाँव चपले में एक हेमंत पटेल (अभि०सा०–11) की शादी में सम्मिलित होना है, लेकिन उनकी बेटी शाम को अपने घर वापस नहीं लौटी और जब अपीलार्थी ने उसे ठीक से सूचित नहीं किया कि मृतक कहाँ थी, तो ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस प्रकार, अभिलेख पर कुछ भी नहीं लाया गया है कि मृतक कहाँ गयी थी जिसे अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसके बयान में स्पष्ट करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से जब अपीलार्थी के विरुद्ध अपहरण और हत्या के आरोप विरचित किये गए थे तथा उसका विचारण किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **सूचा सिंह बनाम पंजाब राज्य**[10] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे मामले पर सुनवाई करते हुए, जिसमें दो व्यक्तियों को रात में हथियारबंद हमलावरों द्वारा उनके घर से ले जाया गया था और गोली के घावों वाले उनके शव, अगली सुबह उनके घर के पास पड़े हुए पाए गए थे तथा अपहरणकर्ताओं ने इस संबंध में कोई व्याख्या और सूचना जो कि उनकी अनन्य जानकारी में थी कि अपहरण के बाद मृतक के साथ क्या हुआ था, नहीं दी थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उपधारणा की जा सकती है और अपहरणकर्ता, मृतक की हत्या के लिए जिम्मेदार थे तथा पैरा–15, 18, 19 और 20 में निम्नानुसार निर्धारित किया:

10 (2001) 4 एससीसी 375

"**15.** केवल अपहरणकर्ता ही न्यायालय को बता सकते थे कि अपहरण के बाद मृतक के साथ क्या हुआ था। जब अपहरणकर्ताओं ने न्यायालय को उस जानकारी से विधारित कर दिया, तो उपरोक्त सभी पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती परिस्थितियों के आलोक में यह निष्कर्ष निकलना औचित्यपूर्ण है कि अपहरणकर्ता मृतक के हत्यारे हैं।

* * *

*

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में रिक्तता को भरना नहीं है। उन्होंने एट्टीगाले में प्रिवी काउंसिल और अन्य बनाम सम्राट (ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 169) तथा स्टीफन सेनेविरत्ने बनाम सम्राट(ए. आई. आर 1936 पी. सी. 289) के प्रकरणों में किये गये अवधारणों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। वास्तव में इसमें निहित प्रेक्षण पर इस न्यायालय द्वारा शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य (ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 404) के प्रकरण में न्यायमूर्ति विवियन बोस द्वारा प्रदत्त एक प्रारंभिक निर्णय में विचार किया गया था। उपरोक्त निर्णय में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए विधिक विवरण हमारे द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर (पूर्वोक्त) में सारभूत किया गया है। उपरोक्त निर्णय में हमारे द्वारा किये गये प्रेक्षण का एक और भाग सारभूत करना उपयोगी हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"33. तथ्य का अनुमान कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व से एक तथ्य के अस्तित्व के बारे में एक निष्कर्ष है, जब तक कि इस तरह के निष्कर्ष की सत्यता को गलत नहीं माना जाता है। तथ्य की उपधारणा, साक्ष्य के कानून में एक नियम है जिससे कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य समूह से किसी तथ्य के अस्तित्व का निष्कर्ष निकाला जाता है, तो न्यायालय तर्क की एक प्रक्रिया का प्रयोग करती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। उपरोक्त सिद्धांत को भारत में विधायी मान्यता प्राप्त हुई है जब धारा 114 को साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किया गया है। यह न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करने का अधिकार देता है जो उसे लगता है कि संभवतः यह हुआ होगा। उस

प्रक्रिया में न्यायालय प्रकरण के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य बातों को ध्यान में रखेगी। "

19. हमने बताया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन के बोझ को कम करना नहीं है, लेकिन यह धारा उन मामलों में लागू होगी जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है जिनके लिए कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के बारे में विशेष ज्ञान के आधार पर कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो जाए जो न्यायालय को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके।

20. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा संबोधित दलीलों पर गंभीरता से विचार किया है। हम केवल पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर, ए. आई. 1936 पी. सी. 169 में संवर्धित उस विधिक सिद्धांत को दोहराते हैं कि जब एक से अधिक व्यक्तियों ने पीड़ित का अपहरण कर लिया है, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, तो यह न्यायालय के विधिक क्षेत्र के भीतर है कि तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर उसके द्वारा एक उचित अनुमान लगाया जाए कि सभी अपहरणकर्ता हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। भा०द०सं० की धारा 34 का उस उद्देश्य के लिए सहायता के लिए अवलंब लिया जा सकता है, जब तक कि कोई विशेष अपहरणकर्ता न्यायालय को अपने स्पष्टीकरण से यह समाधान न कर दे कि उसने बाद में पीड़ित के साथ और क्या किया, अर्थात क्या उसने अपने सहयोगियों को रास्ते में छोड़ दिया या क्या उसने दूसरों को चरम कृत्य करने से रोका आदि। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. सूचा सिंह (पूर्वोक्त) मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित उपरोक्त विधिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने यह सही अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी मृतक अन्नू सिंह को दिनांक 18/05/2013 को अपने साथ ले गया था तथा प्रदर्श पी/6 के अनुसार दिनांक 30/05/2013 को उसका शव बरामद किया गया था, वह भी, प्रदर्श पी/5 के अनुसार निर्मलदास(अभि०सा०–4) द्वारा विधिवत साबित अपीलार्थी के मेमोरेंडम बयान के अनुसरण में, इस प्रकार, अपीलार्थी को दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत उसके बयान में स्पष्टीकरण देना आवश्यक था कि मृतक के साथ क्या हुआ था और उसे उसके घर से ले जाने के बाद उसकी मृत्यु कैसे हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh

19. महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश {(2000) 1 एससीसी 471 14} के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की जाती है, तो उसे यह समझाने की आवश्यकता है कि उसे इस तरह के छिपाने के बारे में कैसे पता चला और स्पष्टीकरण न देना अभियुक्त के लिए घातक है और पैरा–26 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"**26.** हम भी तीन संभावनाओं को स्वीकार करते हैं जब कोई अभियुक्त उस स्थान की ओर इशारा करता है जहाँ एक शव या एक आपत्तिजनक सामग्री को छिपाया गया था, बिना यह बताए कि इसे स्वयं उसके द्वारा छिपाया गया था। एक यह कि उसने खुद इसे छुपाया होगा, दूसरा यह कि उसने किसी और को इसे छिपाते हुए देखा होगा। और तीसरा यह है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने बताया होगा कि यह वहाँ छिपाया गया था। लेकिन अगर आरोपी आपराधिक न्यायालय को यह बताने से इनकार कर देता है कि छिपाने के बारे में उसकी जानकारी अंतिम दो संभावनाओं में से एक के कारण थी, तो आपराधिक न्यायालय यह मान सकती है कि इसे आरोपी ने खुद छुपाया था।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति है जो स्पष्टीकरण दे सकता है कि उसे इस तरह के छिपाने के बारे में कैसे पता चला और यदि वह न्यायालय को यह बताने से बचना चाहता है कि उसे इसके बारे में और कैसे पता चला, तो यह धारणा आपराधिक न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली एक अच्छी तरह से उचित प्रक्रिया है क्योंकि छिपाने का काम उसके द्वारा स्वयं किया गया था। ऐसी व्याख्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में सन्निहित सिद्धांत के साथ असंगत नहीं है। "

20. **सुरेश** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निर्धारित उपरोक्त विधिक सिद्धांत का **निंगप्पा यल्लप्पा होसामानी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य**[11] के मामले में अनुमोदन के साथ पालन किया गया था।

11 2009 (14) एससीसी 582

21. इसके बाद, अरविंद सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य{(2021) 11 एससीसी 1} के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया है:–

> "88. ... वर्तमान मामले में, शव एक छिपी हुई जगह पर पड़ा था और आरोपी की ओर से इस बारे में कोई संभावित स्पष्टीकरण नहीं था कि शव को उस विशेष स्थान पर कैसे छुपाया गया, जबकि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से साबित होता है कि आरोपी मृत्यु के लगभग संभावित समय पर शव बरामद होने के स्थान के पास था। "

22. अंततः उपरोक्त विधिक विश्लेषण के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि मृतक के पिता ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) के बयान के अनुसार, यह अपीलार्थी ही है जो मृतक अन्नु सिंह को उसके घर से ले गया और उसकी मृत्यु कारित की तथा उसके शव को डंपिंग यार्ड में फेंक दिया और उसके बाद, प्रदर्श पी/6 के अनुसार मृतक अन्नु सिंह का शव उस स्थान से बरामद किया गया जिसका कि अपीलार्थी ने अपने मेमोरेंडम कथन में खुलासा किया है जिसे निर्मलदास (अभि०सा०–4) द्वारा विधिवत साबित किया गया है और अपीलार्थी दं०प्र०सं० की धारा 313 के तहत अपने बयान में यह समझाने में विफल रहा है कि उसे शव के बारे में कैसे पता चला, जिसे उसे यह साबित करने के लिए समझाना आवश्यक था कि वह अपराध का दोषी नहीं है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया है कि यह अपीलार्थी ही है जिसने मृतक अन्नू सिंह का अपहरण किया और उसके स्कार्फ से उसका गला घोंटकर उसकी मृत्यु कारित कि और उसके बाद उसके शव को डंपिंग यार्ड में फेंक दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. उपरोक्त विधिक विवेचना को ध्यान में रखते हुए, यह पूरी तरह से स्थापित है कि अपराध का उद्देश्य और अंतिम बार एक साथ देखे जाने के सिद्धांत को ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा विधिवत साबित किया गया है तथा प्रदर्श पी/6 के अनुसार मृतक अन्नू सिंह के शव की बरामदगी के साथ–साथ प्रदर्श पी/5 के अनुसार अपीलार्थी के मेमोरेंडम कथन के अनुसरण में बटुए और ए. टी. एम. कार्ड जैसी कुछ वस्तुओं की जब्ती जिसे निर्मलदास(अभि०सा०–4) द्वारा भी साबित किया गया है तथा जिसकी पहचान विधिवत रूप से ताराचंद सिंह (अभि०सा०–1) द्वारा की गई है। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, **शरद बिरधीचंद सारदा** (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपतियों द्वारा निर्धारित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले के साक्ष्य के पंचशील का गठन करने वाले पांच सुनहरे सिद्धांत अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत स्थापित किए गए हैं और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा०द०सं० की धारा 364, 302 और 201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है। हमें इस अपील में कोई गुणदोष दिखाई नहीं देती है।

24. तदनुसार, यह आपराधिक अपील खारिज की जाती है।

25. इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति आवश्यक जानकारी और अनुपालन के लिए संबंधित विचारण न्यायालय के साथ–साथ जेल अधिकारियों को भेजी जाए।

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(राधाकिशन अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur